



बिहार सरकार

कार्यालय :- निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

Website: www.Injporthohospital.org, E-mail- Injpnhospital@gmail.com

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत मानव संसाधन वगैरह हेतु निविदा



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना है, L-II स्तरीय ट्रामा सेंटर सहित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के विभागीय पत्रांक 47 (10) दिनांक 17/06/2021 के निदेशानुसार आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत विभिन्न पदों के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइंडरों/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत अंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग—अलग दो लिफाफों में भर कर एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत विभिन्न पदों के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन, अपराह्न पाँच बजे तक सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा प्राप्त की जायेगी, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को अपराह्न 02.00 बजे निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के कार्यालय कक्ष में निविदा चयन/निर्धारण समिति के समक्ष प्राप्त निविदाएँ खोली जायेगी, निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्तें कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna के नाम से रु0 1000/- का डिमाण्ड झॉफ्ट (Non-Refundable) बनाकर एक आवेदन (लेटर पैड पर) के माध्यम से कार्यालय में जमा करने के पश्चात ही प्राप्त की जा सकती है, तत्पश्चात ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होगें, विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान के वेबसाईट www.Injporthohospital.org अथवा www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

- (क) भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वीकृत एवं रिक्त पदों के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने (बिन्दुवार शर्तोनुकूल मानव संसाधन से संबंधित आवश्यकतानुकूल निम्नलिखित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है तथा मानव बल उपलब्ध कराने हेतु संस्थान द्वारा निर्णय लेने के पश्चात् कार्यादेश निर्गत किया जायेगा) से संबंधित, कार्यों सहित शर्तों की विवरणी निम्नलिखित है :-
- (01) संस्था द्वारा बिहार आरक्षण अधिनियम एवं समय—समय पर सरकार द्वारा किये गए संशोधनों/आरक्षण संबंधी निर्गत संकल्पों/अधिसूचना/कार्यपालक आदेश इत्यादि के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरशः पालन करना होगा।
- (02) संस्था द्वारा जिन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर संस्थान में कार्य करने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, उक्त कर्मियों का संस्थान में बहाली करने के पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण—पत्र, (मूल एवं अभिप्रमाणित छायाप्रति) नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न करना होगा, जिसकी एक प्रति संस्थान के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा।
- (03) कर्मियों का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण—पत्र, की अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं शपथ—पत्र कि मूल प्रति को छोड़कर सभी प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति अवलोकनोपरांत लौटा दिया जायेगा।
- (04) संस्था द्वारा संस्थान में बहाल कर्मियों को सरकार द्वारा नियमित/संविदा पर नियुक्ति होते ही सेवामुक्त कर दिया जायेगा।
- (05) संस्था द्वारा उपलब्ध कर्मियों को एक कैलेंडर वर्ष में बारह दिन आकास्मिक अवकाश अनुमान होगा, संस्था के द्वारा संस्थान के अनुशंसा पर ही उक्त कर्मी को अवकाश प्रदान किया जायेगा।
- (06) हॉस्पिटल मैनेजर, स्वास्थ्य प्रबंधक, हेड कलर्क एकाउन्टेंट, निम्न वर्गीय लिपिक एवं रिसेप्सनिस्ट के लिए कम्प्यूटर संबंधित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है।
- (07) बिना अवकाश के कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने की तिथि को उक्त कर्मी का अवैतनिक कार्य दिवस माना जायेगा, लगातार दो दिन निर्धारित समय पर से आधा घंटा विलम्ब से कर्तव्य पर उपस्थित होने पर एवं निर्धारित समय से पूर्व कर्तव्य पर अनुपलब्ध पाये जाने पर उक्त कर्मी का एक दिन का अवैतनिक घोषित कर दिया जायेगा।
- (08) रोगी के हित में भवनों का विस्तार किया जा रहा है। विस्तार होने के उपरांत संबंधित कार्यों की क्षमता में वृद्धि हो जायेगी, उक्त परिस्थिति में संस्थान द्वारा संस्था से शर्तोनुकूल संबंधित कार्य कराने हेतु आवश्यकतानुसार करारनामा अवधि तक अतिरिक्त कर्मियों की मांग की जा सकती है। संस्थान से अधियाचना पत्र प्राप्त होने की स्थिति में 21 दिनों के अंदर संस्था को याचित पदों पर अतिरिक्त मानव बल उपलब्ध कराना होगा।

(09) संस्था द्वारा जिन कर्मियों को उपलब्ध कराया जायेगा उनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता चरित्र एवं आवास प्रमाण—पत्र सहित शपथ—पत्र की जाँच संस्थान द्वारा गठित समिति के जाँचोपरांत हीं संस्थान में कर्मियों को कार्य करने हेतु लगाया जायेगा।

(ख) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाण—पत्रों की स्वअभिप्राप्ति तकनीकी निविदा आवेदन (प्रारूप में प्रमाण—पत्रों एवं संबंधित कागजातों की संख्या दर्शाते हुए) के साथ संलग्न करना होगा :—

(01) निविदादाता द्वारा निर्गत तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।

(02) गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एकट 21,1860 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एकट “1953” के अधीन निबंधित होना चाहिए, का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(03) निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में ₹०—1,00,000/- (एक लाख रु०) मात्र (चयनित संस्था का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट एकरारनामा अवधि तक Non-Refundable) का राष्ट्रीयकृत/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna. के नाम देय होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(04) ESIC निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(05) EPF निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(06) बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एकट “1953” के अधीन निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(07) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के नाम का पैन कार्ड की छाया—प्रति संलग्न करना होगा, यदि निविदादाता फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का प्रोप्राईटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छाया—प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(08) GST निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(09) उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा निर्गत अद्यतन UDYAM निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(10) निविदादाता का अपने संस्था के नाम से खोली गई Current Account अथवा C.C.Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 1,00,000/- रूपये तक का Solvency Certificate अथवा 1,00,000/- रूपये का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna. के नाम देय होगा, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(11) Current Account अथवा C.C.Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेंट, जो बैंक मैनेजर द्वारा अभिप्राप्ति हो) का प्रथम पृष्ठ की प्रति जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद बैंक द्वारा निर्गत हो, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।

(12) विगत तीन वर्षों (Assessment Year AY- 2019-20, 2020-21, 2021-22) का आयकर Return प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।

(13) किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में विगत तीन वर्षों (Financial Year FY- 2018-19, 2019-20, 2020-21) का मिलाकर कुल टर्न ओवर 2,50,00,000/- (दो करोड़ पच्चास लाख रूपये) होने का मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।

(14) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लम्बित नहीं है एवं ना हीं किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(15) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर निविदा प्रकाशन के पिछले माह तक देश के किसी भी राज्य में सरकारी/अर्द्धसरकारी बिजली बिल/मकान कर का भुगतान लम्बित नहीं है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

(16) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लम्बित नहीं है एवं ना हीं किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है एवं ना हीं किसी भी न्यायालय में वाद/सुनवाई के क्रम/हस्तक्षेप पर कार्यदेश/एकरारनामा रद्द किया गया

- है तथा ना हीं संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (17) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का आवास (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का अद्यतन आवासीय प्रमाण—पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग आवासीय प्रमाण—पत्र बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा।
- (18) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा।
- (19) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का आधार कार्ड की प्रति (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग आधार कार्ड बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (20) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का पैन कार्ड की प्रति (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग पैन कार्ड बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (21) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी आठ (08) घंटा ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय/मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को कर्मियों के बैंक खाता में मानदेय/मजदूरी, का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (22) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) द्वारा शराब निर्माण/बिक्री/परिचालन या उपभोग एवं ना हीं दहेज लेने एवं देने में संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है तो तत्काल संस्था का एकरारनामा रद्द करते हुए संस्थान द्वारा संस्था को अगले दस वर्षों तक काली सूची में डालने का अधिकार होगा, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (23) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरक्षण पालन किया जायेगा, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (24) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट—सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार—बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तोंनुकूल क्रमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण—पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (ग) वित्तीय निविदा से संबंधित बिन्दुवार शर्तोंनुकूल अवलोकन पश्चात् सभी प्रकार का खर्च जोड़कर वित्तीय प्रारूप में दर अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर प्रत्येक पद के लिए अलग—अलग L1 का चयन किया जायेगा, के आलोक में पूर्ण विवरणी :-
- (01) संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के पदों के लिए वित्तीय प्रारूप में दर्शाई गई क्रमवार सिर्फ एक—एक पद (प्रतिपद प्रतिमाह) के लिए कर्मियों का मानदेय/मजदूरी, ESIC,EPF एवं सर्विस चार्ज सहित सभी प्रकार का खर्च जोड़कर एकमुश्त राशि वित्तीय प्रारूप में अंकित करना होगा।

- (A) सरकार द्वारा समय—समय पर संस्थान को कर्मियों संबंधित बोनस मद में राशि प्राप्त होती है, के आलोक में अगर संस्थान द्वारा बोनस मद की राशि संस्था को प्राप्त कराई जाती है, तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा समय सीमा के अन्दर कर्मियों को बोनस देय होगा।
- (B) यदि सरकार द्वारा मानव बल से संबंधित निर्धारित दर/मानदेय/मजदूरी, में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि कि जाती है तो आदेश तिथि से हीं नये दर को तत्काल लागू कर संस्थान द्वारा संस्था को भुगतान किया जायेगा।
- (02) विपत्र का भुगतान कर्मियों के वास्तविक कार्य अवधि/कार्यदिवसों के आधार पर किया जायेगा, कर्मियों के उपस्थिति पंजी एवं अनुपस्थिति विवरणी के संधारण एवं उपस्थापन हेतु संस्थान द्वारा संस्थान/संस्था के किसी पदाधिकारी/कर्मी को प्राधिकृत किया जा सकता है अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर हीं संस्था द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- (03) (A) निविदा में सफल होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर संस्था द्वारा विज्ञापित पदों से संबंधित कर्मियों का सभी प्रमाण—पत्र एवं कागजातों की मूलप्रति की अभिप्रमाणित छायाप्रति संस्थान के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा।
(B) संस्था द्वारा विज्ञापित पदों से संबंधित कर्मियों का सभी प्रमाण—पत्र एवं कागजातों की मूलप्रति की अभिप्रमाणित छायाप्रति संस्थान के कार्यालय कक्ष में जमा करने के 21 दिनों के अंदर विज्ञापित पदों पर सुयोग्य व्यक्तियों की बहाली निविदा शर्तोनुकूल संस्थान में करनी होगी, तत्पश्चात् ही संस्था के साथ संस्थान द्वारा एकरानामा किया जायेगा।
- (04) रोगी के हित में भवनों का विस्तार किया जा रहा है विस्तार होने के उपरान्त संबंधित कार्यों में क्षमता की वृद्धि हो जायेगी, उक्त परिस्थिति में शर्तोनुकूल संबंधित कार्य एकरानामा अवधि तक करना होगा, उसके लिए निविदा चयन समिति द्वारा अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान हेतु निर्धारित L1 दर के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- (05) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत 24X7 के तहत कराई जा रही कार्य के आलोक में संस्था द्वारा वित्तीय निविदा में GST एवं अन्य प्रकार का कर जोड़कर (सरकार द्वारा समय—समय पर GST एवं अन्य प्रकार का कर में की जाती रही संशोधन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय निविदा के दर में GST एवं अन्य प्रकार का कर नहीं जोड़ना है) सिर्फ सभी स्तर के कर्मियों का मानदेय, ESIC,EPF सहित सभी प्रकार का खर्च जोड़कर एकमुश्त दर अंकित करना होगा।
(A) सभी स्तर के कर्मियों का मानदेय, ESIC,EPF संबंधित सभी प्रकार का खर्च जोड़कर एकमुश्त दर अंकित करना होगा।
(B) कर्मियों की विवरणी संस्था द्वारा प्रतिमाह अपने किये गए कार्यों के आलोक में विपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- (06) सर्विस चार्ज संबंधित सभी प्रकार का खर्च जोड़कर एकमुश्त दर अंकित करना होगा।
- (07) भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत TDS कटौती करने के उपरांत हीं विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
- (08) वित्तीय निविदा में GST एवं अन्य प्रकार का कर रहित दर अंकित करना है।
- (09) संस्था द्वारा संस्थान में आउटसोर्सिंग संबंधित कार्य को प्रतिमाह निष्पादन करने के पश्चात् प्रतिमाह अपने किये गए कार्यों के आलोक में विपत्र पर अंकित राशि के अतिरिक्त GST एवं अन्य प्रकार का कर जोड़ कर सक्षम कार्यालय में विपत्र जमा करना होगा।
- (10) संस्था एवं संस्था द्वारा बहाल कर्मियों को ESIC द्वारा निर्गत नियमावली/मापदंड एवं शर्तों का पालन करने सहित ESIC संबंधित कुल राशि सक्षम विभाग में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्थान द्वारा संस्था को किया जायेगा।
- (11) संस्था एवं संस्था द्वारा बहाल कर्मियों को EPF द्वारा निर्गत नियमावली/मापदंड एवं शर्तों का पालन करने सहित EPF संबंधित कुल राशि सक्षम विभाग में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्थान द्वारा संस्था को किया जायेगा।
- (12) सरकार के अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत विभागीय पत्रांक 241(1) दिनांक 26/02/2020 के आलोक में संस्था एवं कर्मियों द्वारा पालन करने के पश्चात् हीं उक्त माह का भुगतान संस्थान द्वारा संस्था को किया जायेगा।
- (13) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों का सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय/मजदूरी, भुगतान सहित दूसरे सप्ताह के अन्दर ESIC,EPF वगैरह का भुगतान संस्था द्वारा जमा करने के पश्चात् हीं संस्थान द्वारा संस्था को उक्त माह का भुगतान किया जायेगा, निर्धारित समय पर संस्था द्वारा कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संबंधित माह का एक (01) तारीख से लेकर कर्मियों को भुगतान करने कि तिथि तक एक (01) सौ

रुपया प्रतिदिन प्रतिकर्मी के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

- (14) प्रत्येक माह के विपत्र के साथ चयनित संस्था द्वारा कर्मियों को कि गई विगत माह का वेतनादि भुगतान संबंधित उक्त कर्मियों का बैंक पासबुक अथवा बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति एवं ESIC,EPF कटौती से संबंधित विगत माह जमा की गई राशि का चालान सहित विगत माह GST मद में जमा की गई राशि का चालान वगैरह (निविदा आमंत्रण सूचना के साथ अंतिम पृष्ठ पर संलग्न प्रारूप में साक्ष्य के तहत क्रमावार भरकर देना होगा) का संबंधित विभाग अथवा ऑनलाइन सत्यापन करने/कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर हीं संस्थान द्वारा संस्था को भुगतान किया जायेगा, संबंधित चालान एवं कागजातों कि अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रत्येक विपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- (15) संस्था द्वारा कर्मियों को संस्थान में कार्य करने से पहले कर्मियों को नियुक्ति पत्र देना होगा।
- (16) निविदा में सफल उपरान्त संस्थान में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निविदादाता को letter of intent, agreement पश्चात् work order दिया जायेगा।
- (17) कार्य आवंटन हेतु चयनित संस्था को आशय—पत्र प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर Performance Security के रूप में संस्था को एक वर्ष की अवधि में अनुमानित कुल भुगतेय राशि का दस प्रतिशत (Refundable) तक “Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna” के पक्ष में भुगतेय किसी भी राष्ट्रीयकृत/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड झॉफ्ट अथवा बैंक गारन्टी अथवा Fixed deposit संस्था द्वारा जमा करना होगा, तत्पश्चात् संस्था के साथ एकरानामा कर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- (18) निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि संस्थान का भली—भौति निरीक्षण एवं निविदा में दर्शाई गई सभी बिन्दुवार शर्तों का अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा समर्पित करना उनके लिए श्रेयस्कर होगा।
- (19) यदि सरकार द्वारा दिशा—निर्देश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन कर सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश का पालन करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
- (20) किसी कारण से कार्यादेश निर्गत नहीं होने के आलोक मे वित्तीय निविदा खोलने के 120 दिन तक ही निविदा की वैद्यता होगी, के आलोक में संस्थान द्वारा निविदा रद्द की जा सकती है।
- (21) यदि दो या दो से अधिक निविदादाता का वित्तीय निविदा में दर समान पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में लॉटरी के माध्यम से कार्य आवंटन कर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

(घ) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की पूर्ण विवरणी :—

- (01) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के अध्यक्ष अथवा सचिव, फर्म/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का प्रोप्राइटर हीं निविदा डालने हेतु निविदादाता के रूप में अधिकृत होंगे, किसी भी परिस्थिति में संस्था के अन्य पदधारक, सदस्य अथवा अन्य कोई व्यक्ति निविदा डालने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
- (02) वैश्विक महामारी/आपातकाल के समय सरकार की शर्तोंनुकूल कार्य करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (03) संस्था द्वार बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरशः पालन करना होगा।
- (04) चयनित संस्था द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था द्वारा विभिन्न पदों पर बहाल कर्मियों (विभिन्न पदों पर बहाल कर्मियों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय अथवा किसी विभाग/कार्यालय/थाना/संस्थान द्वारा दण्डित नहीं किया गया है, संस्था द्वारा संस्थान में कर्मियों को बहाली संबंधित नियुक्ति पत्र के साथ शपथ—पत्र संलग्न करना होगा, जो कर्मियों द्वारा कार्य प्रारम्भ तिथि तक शपथ—पत्र बनवाकर संस्थान के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा।
- (05) चयनित संस्था द्वारा कर्मियों का आवास (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान मे है) का अद्यतन आवासीय प्रमाण—पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) एवं उक्त जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र (आवास एवं चरित्र दोनों प्रमाण—पत्र) सहित जाति एवं कोटि प्रमाण—पत्र, कर्मियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक सहित मानदेय, ESIC. NO, EPF. NO, की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रत्येक विपत्र के साथ संस्थान के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा।
- (06) संस्था द्वारा उपलब्ध कर्मी को किसी भी समय पद के अनुरूप कार्य करने में असक्षम पाया जाता है या उनके कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है या उनके द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/अपराध या कदाचार करते हुए पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा वैसे कर्मियों को अविलम्ब हटाते हुए दूसरे

- कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा, साथ ही उक्त कर्मियों को कार्य मुक्त करते हुए उचित फोरम पर कर्मियों के विरुद्ध नियमानुकूल कारवाई करने का अधिकार संस्थान या संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।
- (07) संस्था द्वारा उपलब्ध कर्मी यदि काम छोड़ना चाहता है तो उसे कार्य मुक्त करने से पूर्व उस पद के लिए योग्य व्यक्ति को संस्था द्वारा संस्थान में उपलब्ध कराना होगा।
- (08) संस्था द्वारा उपलब्ध कर्मियों को संस्थान के द्वारा कोई आवास/यात्रा या संबंधित भत्ता जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
- (09) संस्था को किसी भी संस्थान द्वारा पूर्व में काली सूची में डाला गया हो इसकी जानकारी प्राप्त होने पर उनके साथ हुए एकरारनामा एवं उनके पक्ष में निर्गत कार्यादेश को तत्काल रद्द करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित होगा।
- (10) संस्था के द्वारा कार्यों से संबंधित लॉगबुक का संधारण करना होगा, जिसका प्रारूप संस्थान द्वारा निर्गत किया जायेगा।
- (11) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण—पत्रों/कागजातों/शपथ—पत्र में दर्शाई गई सूचना का संस्थान द्वारा संबंधित विभाग से सत्यापन कराने व सत्यापन कराने के दौरान सही एवं सत्य पाये जाने के पश्चात् ही संस्था द्वारा किये गये कार्यों के आलोक में विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्था को संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (12) किसी भी आम नागरिक (नाम या बगैर नाम) द्वारा निविदा शर्तोनुकूल संस्था द्वारा उल्लंघन कर डाले गये निविदा संबंधित साक्ष्य के तहत संस्था के विरुद्ध संस्थान को आवेदन प्राप्त होता है तो उक्त परिस्थिति में प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों/साक्ष्य के आधार पर सत्यता की सत्यापन कराने के पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्थान द्वारा संस्था को किया जायेगा यदि सत्यापन के दौरान आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप सही एवं सत्य पाया जाता है तो निविदा शर्तोनुकूल उक्त दिनांक को ही संस्था पर कानूनी कारवाई करते हुए विपत्र पर अंकित राशि एवं अग्रधन राशि सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करने सहित संस्थान द्वारा संस्था को पूर्व में किये गये भुगतान राशि की वसूली कर सरकारी खजाने में जमा करते हुए अगले दस वर्षों तक के लिए संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- (13) किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्तर के व्यापार करने वाले कोई भी व्यापारी इस निविदा में इस शर्त के तहत भाग ले सकते हैं, बशर्ते शर्त “ख” में दर्शाई गई बिन्दुवार शर्तों का पालन करते हो।
- (14) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न किए गए प्रमाण—पत्रों में से जिन प्रमाण—पत्रों की अवधि निर्धारित है, यदि एकरारनामा समाप्त होने की तिथि से पहले प्रमाण—पत्रों की अवधि समाप्त होती है तो अवधि समाप्त होते हीं उक्त प्रमाण—पत्रों का सेवा विस्तार संबंधित सक्षम विभाग से करा कर संस्थान के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा।
- (15) तकनीकी निविदा बिन्दुवार शर्तोनुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी शर्त पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यथा सभी शपथ—पत्र एवं प्रमाण—पत्रों को निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (16) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न तकनीकी प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के दौरान निविदादाता द्वारा सभी शर्तों को पूरा करता है तो उक्त परिस्थिति में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा चयन निर्धारण समिति के समक्ष खोला जायेगा।
- (17) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण—पत्र निविदा प्रकाशन के पूर्व का निबंधित अथवा सेवा विस्तार होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रमाण—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिसका निबंधन अथवा सेवा विस्तार के लिए संबंधित विभाग में आवेदन (अल्लाई फॉर) दिया गया हो।
- (18) निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त स्थिति में निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (19) कर्मियों के कार्य प्रारम्भ की तिथि के दिन को कर्मियों की सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र से ज्यादा एवं न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, कर्मियों द्वारा कार्य करने के दौरान उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाती है तो उक्त परिस्थिति में सरकार द्वारा 60 वर्ष से ऊपर कार्य करने से संबंधित नियमावली यदि होती है तो संस्था द्वारा उक्त कर्मियों को कार्य करने हेतु पुनः रखा जा सकता है, कर्मियों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, योगदान से पूर्व सभी कर्मियों का स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र समर्पित करना होगा।
- (20) निविदा शर्तोनुकूल सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा, (इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा)।
- (21) किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा, भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर व्याज देय नहीं होगा, इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (22) यह कार्य आउटसोर्सिंग व्यवस्था के आधार पर किया जा रहा है, इसके अतंर्गत संस्था द्वारा उपलब्ध किसी भी कर्मी का सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

- (23) यदि संस्था बीच में कार्य बाधित करती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था के द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाई की जाएगी।
- (24) निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र/कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व/पश्चात् अथवा एकरानामा होने के पूर्व/पश्चात् अथवा कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व/पश्चात् अथवा किसी भी समय जांचोपरान्त फर्जी पाई जाती है अथवा शपथ-पत्र में गलत सूचना देते हैं तो निविदादाता के विरुद्ध अविलम्ब स्थानीय आना में एफ०आई०आर० दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाई की जायेगी तथा तत्काल उक्त संस्था को अगले 10 वर्षों तक के लिए काली सूची में नाम दर्ज करते सहित निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- (25) कर्मियों को संस्थान के सभी स्तर के पदाधिकारियों, कर्मियों, भर्ती रोगियों, आम रोगियों एवं रोगियों के परिजनों के प्रति व्यवहार मृदु एवं सहयोगात्मक होना चाहिए, यदि व्यवहार संस्थान द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में वैसे कर्मी को तत्काल हटाते हुए नए कर्मी को संस्था द्वारा रखना होगा।
- (26) संस्थान एवं संस्था के बीच तीन वर्षों के लिए कार्य करने हेतु एकरानामा करने के पहले संस्था द्वारा संतोषप्रद कार्य किया जा रहा है या नहीं को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा संस्था को संतोषप्रद कार्य करने हेतु (TRIAL BASIS परीक्षण के आधार पर) सिर्फ बारह (12) माह के लिए एकरानामा पश्चात् कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, संस्था द्वारा निविदा शर्तोनुकूल बिन्दुवार एवं क्रमवार सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् एवं कार्य संतोषप्रद रहने पर इस संस्थान की निविदा निर्धारण समिति अथवा रोगी कल्याण समिति अथवा निदेशक के अनुसोदनोपरांत तीन (03) वर्षों के लिए एकरानामा संस्थान एवं संस्था के बीच किया जायेगा, संस्था द्वारा बारह (12) माह के अन्दर आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित निविदा शर्तोनुकूल बिन्दुवार एवं क्रमवार कार्य पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्थान द्वारा संस्था के विरुद्ध नियमानुकूल निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (27) सेवा संतुष्टि के आधार पर सामग्रियों की महंगाई एवं अन्य प्रकार का खर्च की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित L1 दर से (सरकार द्वारा बढ़ोतरी के आलोक में) बढ़ोतरी करते हुए पुनः तीन वर्षों के लिए विस्तारित किया जायेगा, तथा आगे कार्य करने हेतु प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् बढ़ोतरी दर को L1 दर मान कर सेवा संतुष्टि के आधार पर प्रत्येक तीन वर्षों पर (सरकार द्वारा बढ़ोतरी के आलोक में) बढ़ोतरी करते हुए विस्तारित किया जायेगा।
- (28) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित कर्मियों का मानदेय/मजदूरी, ESIC,EPF, अन्य प्रकार के भत्ते, (सरकार द्वारा किसी प्रकार कि कमी या वृद्धि की जाती है के आलोक में संस्था द्वारा कर्मियों को देय होगा) तत्पश्चात् संस्थान द्वारा संस्था को संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा।
- (29) निविदा में सफल होने के पश्चात् सिर्फ निविदादाता यथा संस्था का अध्यक्ष या सचिव या प्रोपराईटर (इस शर्त पर एकरानामा किया जायेगा जब संस्था के सभी पदधारक, सदस्य [प्रितिनिधि नहीं] संस्थान के साथ एकरानामा करने हेतु निर्धारित तिथि को अधिकृत सक्षम पदाधिकारी के समक्ष अपने पहचान-पत्र के साथ उपस्थित रहेंगे यदि निर्धारित तिथि के दिन एक भी पदधारक अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्थान द्वारा संस्था के साथ एकरानामा नहीं कर L2 दर वाले संस्था के साथ L2 दर को L1 दर मान कर एकरानामा कर दिया जायेगा) को अद्योहस्ताक्षरी के साथ 1000/-NON JUDICIAL STAMP पर एकरानामा करना होगा।
- (30) संस्थान के पास बिना कारण बताते हुए निविदा पुर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं संस्थान का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना, बिहार होगा।
- (31) L1 दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक क्रमवार पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा, बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले अथवा किसी भी आरोप के कारण बर्खास्त/रद्द किये गये संस्था से हुई रिक्तियों को इसी पैनल के L2 दर अंकित करने वाले संस्था से L1 के दर पर उक्त कार्य कराया जायेगा, यदि L1 के दर पर L2 दर अंकित करने वाली संस्था असमर्थता जताती है तो उक्त परिस्थिति में L3 से लेकर सभी तकनीकी रूप से सफल संस्था से L1 दर पर कार्य करने हेतु इच्छुक संस्थाओं को क्रमवार अवसर प्रदान किया जाएगा, साथ ही L1 दर अंकित करने वाले संस्था द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि संस्थान द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
- (32) L1 दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक क्रमवार पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा, कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व/पश्चात् L1 दर अंकित करने वाले संस्था द्वारा अपने निविदा आवेदन के साथ जमा किये गये कागजातों को संस्थान द्वारा सत्यापन (निर्गत विभागों से) कराने के दौरान फर्जी पाई जाती हैं अथवा निविदा शर्तोनुकूल प्रमाण-पत्रों/कागजातों की संख्या में कमी पाई जाती है तो L2 दर अंकित करने वाले संस्था को L2 दर को L1 दर मान कर L2 दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।
- (33) संस्था के तहत बहाल कर्मियों का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बीमा कपंनी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत किसी भी प्रकार का कैशलेश अथवा कैशलेश जैसा स्वास्थ्य बीमा (कम से कम पॉच लाख रुपया प्रतिवर्ष) अनिवार्य होना चाहिए, Policy Bond की छायाप्रति कर्मियों से प्राप्त कर संस्था द्वारा संस्थान में कार्य प्रारम्भ करने

से पूर्व सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं संस्थान में कर्मियों को कार्य करने हेतु अनुमति दिया जायेगा।

- (34) संस्था के तहत बहाल कर्मियों का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बीमा कपंनी द्वारा निर्गत पेंशन योजना अन्तर्गत किसी भी प्रकार का पेंशन अथवा पेंशन जैसा पेंशन बीमा (कम से कम पाँच हजार रुपया प्रतिमाह, जो किसी भी न्यूनतम उम्र से अधिकतम कम से कम 75 वर्षों तक पेंशन प्राप्त होता रहे) अनिवार्य होना चाहिए, Policy Bond की छायाप्रति कर्मियों से प्राप्त कर संस्था द्वारा संस्थान में कार्य प्रारम्भ करने के तीन माह के अन्दर सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं संस्थान में तीन माह के पश्चात् कर्मियों को संस्थान में आगे कार्य करने हेतु अनुमति दिया जायेगा।
- (35) कार्य अवधि के समय कर्मियों द्वारा संस्थान एवं संस्था का नाम, पदनाम छपा हुआ निर्धारित पोशाक/समय पर कर्मियों को कार्य करते हुए नहीं पाये जाने पर उक्त कर्मियों के मानदेय से एक सौ रुपया प्रतिदिन के दर से कटौती किया जायेगा।
- (36) कर्मियों को मास्क, टोपी एवं दस्ताना पहनना अनिवार्य होगा, कार्य निष्पादन करने वाले कर्मियों बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए उनको टाइफाईड, संकमण एवं अन्य कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, के आलोक में प्रत्येक तीन माह पर स्वास्थ्य जॉच कराने के पश्चात् स्वस्थ होने का स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र संस्थान के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा।
- (37) तकनीकी रूप से सफल होने के पश्चात् यदि कोई संस्था वित्तीय निविदा में L1 दर हो जाता है, के आलोक में उक्त संस्था द्वारा जमा कि गई तकनीकी निविदा के साथ संलग्न प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के दौरान नाम/पता बगैरह (निबंधन संख्या में नहीं सिर्फ नाम/पता में) में किसी भी प्रकार कि शब्दों में कुछ गलती लिखा हुआ पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्थान द्वारा संस्था को लिखित अवगत कराने के पश्चात् एकरारनामा होने की तिथि से छः (06) माह के अन्दर संबंधित निर्गत विभाग से नाम एवं पता में सुधार करा कर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा संस्था द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि को जब्त करते हुए एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा तथा L2 दर अंकित करने वाले संस्था को L1 दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।
- (38) बाल श्रम तथा अन्य आपराधिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।
- (39) संस्थान अन्तर्गत संस्था द्वारा रखी एवं लगाई गई सभी प्रकार के (सेवा विस्तार नहीं होने के आलोक में) सामग्री एकरारनामा अवधि समाप्त होने अथवा नये चयनित संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ हाने के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर संस्थान से हटाना होगा। तत्पश्चात् ही 36वां माह का विपत्र का भुगतान एवं अग्रधन के रूप में जमा की गयी डिमाण्ड ड्रॉफ्ट वापस किया जायेगा, अन्यथा संस्थान द्वारा सभी सामग्री जब्त करते हुए संस्था/निविदादाता पर प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानुनी कार्यवाई की जाएगी, इसके अतिरिक्त संस्था/निविदादाता पर प्राथमिकी दर्ज करने के आलोक में न्यायालय के निर्णय आने की तिथि तक एकरारनामा समाप्त होने की तिथि से रु. 5000/- प्रतिदिन की दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त 36वां माह का विपत्र एवं अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई डिमाण्ड ड्रॉफ्ट पर अंकित राशि में से कटौती करने के पश्चात् शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
- (40) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराई जा रही विभिन्न प्रकार के कार्यों का मूल्यांकन संबंधित अभियान के आलोक में कायाकल्प कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य स्तरीय अवॉर्ड कमिटी से कराई गई बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों के निरीक्षण उपरांत प्रोत्साहन हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर सफल आनेवाले संस्थान को प्रोत्साहित की जाती है। यदि यह संस्थान उस दायरे में चयन होता है, के आलोक में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाले संस्था को संस्थान द्वारा 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त जैसे समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष प्रशस्ति पत्र एवं अन्य सामग्री से सम्मानित किया जायेगा।
- (41) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत की जा रही कार्यों की गुणवता से संबंधित संस्थान के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, प्रभारी पदाधिकारी से की गयी लिखित शिकायत आवेदन पर संस्थान/राज्य स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य विभाग अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा जाँचोंपरान्त दोषी पाये जाने के पश्चात् ही संस्था को दण्डित अथवा आर्थिक दण्ड अथवा कार्यमुक्त किया जायेगा, किसी भी परिस्थिति में बिना जाँचोंपरान्त संस्था पर कोई कार्यवाही नहीं किया जायेगा।
- (42) संस्था द्वारा तकनीकी/वित्तीय निविदा खोलने के बाद यदि संस्था अपना तकनीकी/वित्तीय निविदा वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले सकते हैं, परन्तु कार्यादेश प्राप्त करने के पश्चात् संस्था अपना कार्य प्रारम्भ नहीं करती है तो उक्त परिस्थिति में अग्रधन के रूप में संस्था द्वारा जमा किया गया अग्रधन राशि संस्थान द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

- (43) कार्यों को सुचारू रूप से संचालन से संबंधित भिन्न-भिन्न प्रकार के सामग्री का रख-रखाव एवं कर्मियों, श्रमिकों को रहने हेतु संस्थान द्वारा temporary कमरा अथवा सेड उपलब्ध कराया जायेगा, किसी भी परिस्थिति में निविदादाता द्वारा परिसर अथवा भवन के अन्दर कोई भी स्थाई निर्माण संबंधित कार्य अपने स्तर से नहीं कराया जायेगा।

नोट :-

- (01) निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है की तकनीकी निविदा में मांगे गए उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात संलग्न नहीं करेंगे एवं शपथ-पत्र क्रमवारनुकूल अलग-अलग बना होना चाहिए, यदि निविदादाता द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (02) जिस संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट-सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तेनुकूल क्रमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो तो उक्त परिस्थिति में वैसी आरोपित संस्था इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
- (03) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों में से किसी की मृत्यु हो गई हो अथवा किसी कारणवश संस्था से निकाल दिये गये हों अथवा सदस्यता का परित्याग कर दिया हो, के आलोक में संस्था द्वारा पदधारक/सदस्यों के रिक्त पद पर (सक्षम विभाग द्वारा निर्गत अनुमति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि से पहले का पत्र निर्गत हो) किसी अन्य व्यक्ति को पदस्थापन/Amendment नहीं कराया गया है अथवा यदि संस्था के पद अकारण रिक्त हो तो उक्त परिस्थिति में वैसी संस्था निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
- (04) सभी शपथ-पत्र (निविदादाता सहित संस्था के सभी पद के पदधारक एवं सदस्यों द्वारा) निविदा शर्त के साथ संलग्न शपथ-पत्र, संस्था द्वारा शपथ-पत्र संबंधित प्रारूप में हीं (कम्प्युटरीकृत अंकित) भर कर अपने निविदा आवेदन के साथ देना होगा, निविदादाता, पदधारक एवं सदस्यों द्वारा किसी भी परिस्थिति में शपथ-पत्र प्रारूप में एक भी शब्द संशोधन नहीं किया जायेगा, के आलोक में एक भी शब्दों का संशोधन करने संबंधित साक्ष्य प्राप्त होने पर उक्त संस्था का तकनीकी निविदा रद्द कर दी जाएगी।
- (05) निविदा आवेदन के साथ सभी शर्तों से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व० अभिप्रमाणित छाया-प्रति का क्रमवार नम्बरिंग (स्व० अभिप्रमाणित, क्रमवार, नम्बरिंग नहीं होने के कारण उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा) करके निविदा संबंधित सभी कागजातों को लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा।
- (06) नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनिवार्य समझा जाए, यदि निविदादाता द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने के पश्चात् किसी भी समय संस्था द्वारा कि गई उल्लंघन का पता चलता है तो उक्त परिस्थिति में कार्यादेश एवं एकरारनामा रद्द करते हुए संस्थान द्वारा की गई सभी भुगतान राशि की वसुली कर सरकारी खजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- (07) निविदा आमंत्रण सूचना के साथ पृष्ठों की क्रमवार संख्या 01 से 43 यानि कुल 43 पृष्ठ है।

*Subhash
11-10-22*
निदेशक,

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना कार्यालय द्वारा वाह्य श्रोत के आधार पर संस्था द्वारा मानव संसाधन हेतु तैयार एवं अनुमोदनोपरांत प्रस्तुत संलग्न निविदा प्रारूप निविदा निर्धारण समिति के निम्नलिखित हस्ताक्षरित सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किया गया। :-

1. डॉ० सुभाष चन्द्रा, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना। :-

Banda.
01-10-22

2. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

3. प्रबंध निदेशक, BMSICL बिहार, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

4. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

5. जिला लेखा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, कार्यालय, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

P
01.10.22

6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

Amitesh
01/10/2022

7. श्रम अधीक्षक, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

(16)
01/10/22

8. राज्य कर संयुक्त आयुक्त, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

Mukesh P
01/10/22

9. डॉ० शिवेन्द्र कुमार सिंह, परामर्शी हड्डी रोग सह सदस्य एल० एन० जे० पी०, अस्पताल, पटना। :-

10. डॉ० सरसिज नयनम, रेजिडेंट सह सदस्य, एल० एन० जे० पी०, अस्पताल, पटना। :-

Suresh
01/10/22

11. डॉ० मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी सह सदस्य, एल० एन० जे० पी०, अस्पताल, पटना। :-

Muni
01/10/22

Banda
01-10-22

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

तकनीकी निविदा का प्रारूप

क्रम सं०	प्रमाण पत्रों, ड्रॉफ्ट एवं शपथ पत्रों की पूरी विवरणी	निबंधन सं०/पत्रांक सं०/अन्य संख्या वगैरह	कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि	कागजातों का क्रमावार क्रमांक	कागजातों की कुल संख्या
01	तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक) सहित प्रारूप।			01 To	
02	संस्था का निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
03	अग्रधन राशि, 01,00,000/- रूपये का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट।			To	
04	ESIC निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
05	EPF निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
06	बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट “1953” के अधीन निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
07	पैन कार्ड की प्रति।		X	To	
08	GST निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
09	उद्योग विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
10	Solvency Certificate/ DD 1,00,000/- लाख रूपये का।			To	
11	Current / C.C.Account बैंक एकाउन्ट नं० सहित।			To	
12	विगत तीन वर्षों (Assessment Year) का आयकर रिटर्न की प्रति।	2019-20 :- 2020-21 :- 2021-22 :-		To To To	
13	विगत तीन वर्षों Financial Year का मिलाकर कुल टर्न ओवर 2,50,00,000,- (दो करोड़ पच्चास लाख) रूपये की प्रति।	2018-19 :- 2019-20 :- 2020-21 :-		To To To	
14	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लम्बित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।			To	
15	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर निविदा प्रकाशन के पिछले माह तक देश के किसी भी राज्य में सरकारी/अर्द्धसरकारी बिजली बिल/मकान कर का भुगतान लम्बित नहीं है।			To	
16	संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है एवं ना ही किसी भी न्यायालय में वाद/सुनवाई के क्रम/हस्तक्षेप पर कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया है तथा ना ही संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है।			To	
17	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का आवास (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का अद्यतन आवासीय (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) प्रमाण—पत्र।			To	
18	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र।			To	
19	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का आधार कार्ड प्रति।		X	To	
20	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का पैन कार्ड की प्रति।		X	To	

21	श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय/मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को कर्मियों के बैंक खाता में मानदेय/मजदूरी, का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।	To		
22	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) द्वारा शराब निर्माण/बिक्री/परिचालन या उपभोग एवं ना ही दहेज लेने एवं देने में संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है तो तत्काल संस्था का एकरारनामा रद्द करते हुए संस्थान द्वारा संस्था को अगले दस वर्षों तक काली सूची में डालने का अधिकार होगा।	To		
23	संस्था द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत सञ्चय एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।	To		
24	संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट—सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार—बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तानुकूल कमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण—पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो।	To		
			कुल योग:-	

निविदादाता की पूर्ण विवरणी

01	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का पूरा नाम :—	
02	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का पूरा पता :—	
03	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पद नाम :—	
04	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पूरा नाम :—	
05	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का जन्म तिथि :—	
06	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता के पिता का नाम :—	
07	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पैन नं० :—	
08	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का आधार नं० :—	
09	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का मोबाइल नं० :—	

निविदादाता का हस्ताक्षर :—

Bhawna
01-10-22

निविदादाता का पूरा नाम :—

निविदादाता का पदनाम :—

संस्था का नाम :—

वित्तीय निविदा का प्रारूप

क्रम सं०	पदनाम	शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता	उम्र	दर अंकित करने हेतु पद की संख्या	संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के पदों के लिए वित्तीय प्रारूप में क्रमवार सिर्फ एक पद (प्रतिपद प्रतिमाह) के लिए कर्मियों का मानदेय / मजदूरी, ESIC, EPF एवं सर्विस चार्ज सहित सभी प्रकार का खर्च जोड़कर एकमुश्त राशि वित्तीय प्रारूप में अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा । :-
1	फिजियोथेरेपिस्ट	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
2	ऑकुपेशनल थेरेपिस्ट	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
3	ऑर्थोटिस्ट / फ्रोस्टथेटिस्ट	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
4	मेट्रॉन	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
5	नर्स (ग्रेड ए)	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
6	ओ० टी० असिस्टेंट	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
7	एक्स—रे टेक्नीशियन	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
8	लैब टेक्नीशियन	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
9	हॉस्पिटल मैनेजर	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
10	स्वास्थ्य प्रबंधक	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-

11	हेड क्लर्क अकाउंटेंट	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
12	निम्न वर्गीय लिपिक	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
13	रिसेप्शनिस्ट	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
14	किचन सर्वेंट	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
15	आदेशपाल	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
16	प्लम्बर	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
17	इलेक्ट्रिशियन	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	, 01	01 :-
18	परिधापक	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
19	हेल्पर	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
20	मेल वार्ड अटेंडेंट	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-
21	फिमेल वार्ड अटेंडेंट	सरकार द्वारा निधारित	सरकार द्वारा निधारित	01	01 :-

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का पदनाम :-

निविदादाता का पैन नं0 :-

निविदादाता का आधार नं0 :-

संस्था का नाम :-

Bandra
01-10-22

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 14 के आलोक में)

मैं..... जन्मतिथि—.....

पिता—..... माता—.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं

संस्था..... में.....

(पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।

(03) मैं..... शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मेरे नाम पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

Bancha.
1-10-22

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 15 के आलोक में)

- | | |
|---|----------------------------------|
| मैं..... | जन्मतिथि—..... |
| पिता—..... | माता..... |
| पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)..... | मुहल्ला—..... वार्ड नं०—..... |
| पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... | थाना—..... अनुमण्डल—..... |
| जिला—..... | राज्य—..... में रहता / रहती हूँ। |
| पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)..... | मुहल्ला—..... वार्ड नं०—..... |
| पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... | थाना—..... अनुमण्डल—..... |
| जिला—..... | राज्य—..... में रहता / रहती हूँ। |
| (01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ। | |
| (02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं | |
| संस्था..... | में |
| (पदधारक का पदनाम)..... | के पद पर हूँ। |
| (03) मैं..... शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मेरे नाम पर निविदा प्रकाशन के पिछले माह तक देश के किसी भी राज्य में सरकारी / अर्द्धसरकारी बिजली बिल / मकान कर का भुगतान लम्बित नहीं है। | |
| (04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं। | |

शपथ कर्ता

Bandra
1-10-22

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 16 के आलोक में)

मैं जन्मतिथि—.....

पिता—..... माता—.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं

संस्था..... में

(पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है एवं ना ही किसी भी न्यायालय में वाद / सुनवाई के क्रम / हस्तक्षेप पर कार्यादेश / एकरारनामा रद्द किया गया है तथा ना ही संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है,

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

Brenda
1-10-22

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 21 के आलोक में)

मैं जन्मतिथि—.....

पिता—..... माता.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं

संस्था..... में

(पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की

श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय / मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को कर्मियों के बैंक खाता में मानदेय / मजदूरी, का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

Bandra
1-10-22

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 22 के आलोक में)

मैं जन्मतिथि—.....

पिता—..... माता.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं

संस्था..... में

(पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मेरे द्वारा शराब निर्माण / बिक्री / परिचालन या उपभोग एवं ना हीं दहेज लेने एवं देने में सलिलता की बात प्रकाश में आती है तो तत्काल संस्था का एकरारनामा रद्द करते हुए संस्थान द्वारा संस्था को अगले दस वर्षों तक काली सूची में डालने का अधिकार होगा।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

Bandra
1-10-22

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 23 के आलोक में)

मैं जन्मतिथि—.....

पिता—..... माता.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं

संस्था..... में

(पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की संस्था द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

Banika
1-10-22

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 24 के आलोक में)

मैं.....	जन्मतिथि—.....
पिता—.....	माता.....
पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर).....	मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....
पोस्ट—..... प्रखण्ड—.....	थाना—..... अनुमण्डल—.....
जिला—.....	राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।
पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर).....	मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....
पोस्ट—..... प्रखण्ड—.....	थाना—..... अनुमण्डल—.....
जिला—.....	राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।
(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं
संस्था.....
(पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।
(03) मैं..... शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की

संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार / बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग / कार्यालय / संस्थान / स्वारथ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट-सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार सौचिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश / एकरानामा रद्द किया गया हो अथवा स्वारथ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तानुकूल क्रमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों / प्रमाण—पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों / सक्षम विभाग / सक्षम कार्यालय / सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

(23)

~~10-1-1~~

10-1-1

निविदाता का हस्ताक्षर :-
निविदाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का आधार नं :-

(24)

~~2018-10-22~~

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का आधार नं :-

25

Bandra
01-10-22

Bandra
01-10-22

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पदनाम :-

(26)

Sindra.
01-10-21

Sundar
01-10-21

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पदनाम :-

Sonder
31-10-22

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-

निविदाता का आधार नो :-

Burda
01-10-27

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का आधार नं :-

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निवेदादा का पूरा नाम :-

निविदादाता का आधार नो :-

10-10-22
Brenda

~~Frederick~~
01-10-21

Spender
01-10-21

निषिद्धादता का हस्ताक्षर :-
निविदादता का पुरा नाम :-
निविदादता का पहजास :-

निविदादाता का आधार नं० :—

6

Bandra
01-10-22

निविदादाता का हस्ताक्षर :-
निविदादाता का पूरा नाम :-
निविदादाता का पदनाम :-
निविदादाता का आधार नं :-

32

Sundar
01-10-22

~~10-22~~

निषिद्धादता का इस्ताव्यर :-
निविदादता का पूरा नाम :-

निविदाता का आधार नं :-

(33)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
क्र म सं 0	आहट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्थान का नाम एवं पता राशि	आहट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्थान का नाम एवं पता राशि	आहट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्थान का नाम एवं पता राशि	संस्था द्वारा संस्थान में अपने किये गये कार्यों के विन विवरणी पत्राक दिनांक साहित	संस्था द्वारा संस्था के संस्थान से GST मदवार प्रतिमात प्राप्त से संबंधित राशि	संस्था द्वारा संस्था के संस्थान से GST मदवार प्रतिमात प्राप्त कर से संबंधित राशि	संस्था द्वारा संस्था के संस्थान से GST मदवार प्रतिमात प्राप्त कर से संबंधित राशि	संस्था द्वारा संस्था के संस्थान से GST मदवार प्रतिमात प्राप्त कर से संबंधित राशि	प्रतिदिन कार्यों का नाम एवं आधार नम्बर															
0	लोकना यक जयप्रक शा नासयण अस्ता ला राजवंश नैनगर, पटना।	हेड व्हार्क अकाउंटेंट																						

Form No. 22
01-10-22

निविदादाता का हस्ताक्षर :-
 निविदादाता का पूरा नाम :-
 निविदादाता का पदनाम :-
 निविदादाता का आधार नं :-

三
四

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निवेदाता का पूर्ण नाम :-

निविदावाता का आधार नो:-

Bindia
01-10-22

୩୮

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :—

निविदादाता का आधार नो :-

Banda-
01-10-22

(३६)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	आउट-	आउट-	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	प्रतिदिन	संख्या	कर्मियों	माह	कर्मियों	श्रम	कर्मियों	संख्या	कर्मियों	संख्या	कर्मियों	संख्या	कर्मियों	संख्या	ESIC,	
2	सोसीना	सोसीना	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	के लिए	कर्मियों	को	विभाग	कर्मियों	को	EPF									
3	व्यवस्था	व्यवस्था	संस्थान में	के लिए	कर्मियों	को	विभाग	कर्मियों	को	कर्मियों													
4	के तहत	के तहत	अपने	अपने	अपने	अपने	अपने	के लिए	कर्मियों	को	विभाग	कर्मियों	को	कर्मियों									
5	कार्य	कार्य	करने	करने	करने	करने	करने	के लिए	कर्मियों	को	विभाग	कर्मियों	को	कर्मियों									
6	वाली	वाली	(कार्यदेशा,	(कार्यदेशा,	(कार्यदेशा,	(कार्यदेशा,	(कार्यदेशा,	प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रति माह												
7	संस्थान	संस्थान	प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिमाह	के लिए	कर्मियों	को	विभाग	कर्मियों	को	कर्मियों									
8	का नाम	का नाम	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	के लिए	जमा कि	जमा कि	जमा कि	जमा कि	जमा कि	जमा कि	जमा कि	जमा कि	जमा कि	जमा कि	जमा कि	जमा कि	जमा कि	जमा कि	
9	एवं पता	एवं पता	सहित	सहित	सहित	सहित	सहित	करने	गई	गई	गई	गई	गई	गई	गई	गई	गई	गई	गई	गई	गई	गई	गई
10	लोकना	लोकना	किया जा	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने					
11	यक	यक	सर्वेट	सर्वेट	सर्वेट	सर्वेट	सर्वेट	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	करने	
12	जयप्रक	जयप्रक																					
13	ता	ता																					
14	नारथया	नारथया																					
15	अस्पता	अस्पता																					
16	ला	ला																					
17	राजवंश	राजवंश																					
18	नीगर	नीगर																					
19	पटना।	पटना।																					

Form No. 2
01-10-27

निविदादाता का हस्ताक्षर :-
 निविदादाता का पूरा नाम :-
 निविदादाता का पदनाम :-
 निविदादाता का आधार नं :-

(37)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
क्र म स 0	आउट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्थान का नाम एवं पाता	आउट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्था का नाम एवं पाता	आउट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संबंधित जना कि गई विषय पर अधिकृत राशि	संस्था द्वारा संस्थान में संस्था के विषय से संस्थान प्रतिमात्र प्राप्त राशि	संस्थान द्वारा संस्था के संस्थान से संस्थान में कि गई ¹ कटौती से संबंधित राशि	संस्था द्वारा संस्था के संस्थान से संस्थान में कि गई ² कटौती से संबंधित राशि	संस्था द्वारा संस्था के संस्थान से संस्थान में कि गई ³ कटौती से संबंधित राशि	संस्था द्वारा संस्था के संस्थान से संस्थान में कि गई ⁴ कटौती से संबंधित राशि	प्रतिदिन का आधार नम्बर															
0	लोकना यक्ष जयप्रक श नासयण अस्पता ल राजवंश नैगर, पटना।	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल	आदेश पाल			

निविदादाता का हस्ताक्षर :-
 निविदादाता का पूरा नाम :-
 निविदादाता का पदनाम :-
 निविदादाता का आधार नं :-

01-10-22
 श्री ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
क्र म सं 0	आउट- सोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्थान का नाम एवं पता राशि	आउट- सोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्था का नाम एवं पता राशि	संस्था द्वारा संस्था के कार्यों की विवरणी (कार्यवेचा, पत्रांक दिनांक साहेत) एवं पता राशि	संस्थान द्वारा संस्था के कार्यों की विवरणी (कार्यवेचा, पत्रांक दिनांक साहेत) एवं पता राशि	संस्थान द्वारा संस्था के कार्यों की विवरणी (कार्यवेचा, पत्रांक दिनांक साहेत) एवं पता राशि	संस्था द्वारा संस्था के कार्यों की विवरणी (कार्यवेचा, पत्रांक दिनांक साहेत) एवं पता राशि	संस्था द्वारा संस्था के कार्यों की विवरणी (कार्यवेचा, पत्रांक दिनांक साहेत) एवं पता राशि	संस्था द्वारा संस्था के कार्यों की विवरणी (कार्यवेचा, पत्रांक दिनांक साहेत) एवं पता राशि	प्रतिदिन प्राप्त राशि														
0	लोकना यक जयप्रक श नारपत्र ला राजवर्षा नीगर पट्टना।	पत्रब्ध																					
1																							

Form No. 22
01-10-22

निविदादाता का हस्ताक्षर :-
 निविदादाता का पूरा नाम :-
 निविदादाता का पदनाम :-
 निविदादाता का आधार नं.- :-

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का आधार नं० :-

Bandra
01-10-22

(४०)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	आउट-	आउट-	आउट-	संस्था	संस्थान	संस्थान	संस्थान	संस्था	प्रतिदिन	संस्थान	कर्मियों	संस्था	संस्था	ESIC	ESIC								
स	सोसीज़	सोसीज़	सोसीज़	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	के बैंक	कर्मियों	संस्था	एवं	EPF	EPF									
स	व्यवस्था	व्यवस्था	व्यवस्था	संस्थान में	संस्था	संस्था	संस्था के	संस्थान	के बैंक	कर्मियों	(INS)												
0	के तहत	के तहत	के तहत	अपने	अपने	अपने	अपने	अपने	कर्मियों	URAN													
	कार्य	कार्य	कार्य	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	(NCE)	
	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	वितरणी	वितरणी	वितरणी	वितरणी	वितरणी	कर्मियों	ESIC													
	वाली	वाली	वाली	(कार्यदेश,	(कार्यदेश,	(कार्यदेश,	(कार्यदेश,	(कार्यदेश,	आलोक में	No.													
	संस्थान	संस्था	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	IFSC No.	
	का नाम	का नाम	का नाम	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	जमा कि	NCE No.													
	एवं पता	एवं पता	एवं पता	साहित	साहित	साहित	साहित	साहित	गई विवरण	ESIC No.													
	राशि	राशि	राशि	पर अधिकता	पर अधिकता	पर अधिकता	पर अधिकता	पर अधिकता	राशि	राशि													
0	लोकना	यक्ष	जयप्रक	श	नारपयण	अस्थाता	ल	राजवदेश	नेगर	पटना।	परिधानक												

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का पदनाम :-

01-10-22

(५)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
क्र म सं ख्या	आउटट- सोसाइं टिक व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्थान का नाम एवं पता	आउटट- सोसाइं टिक व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्था का नाम एवं पता	संस्था द्वारा संस्थान में को कार्यों की विवरणी (कार्यदेश, पत्रांक दिनांक साहेत)	संस्थान द्वारा संस्था के विपत्र से मदवारा प्रतिमात्र प्राप्त राशि <td>संस्था द्वारा संस्था के विपत्र से मदवारा प्रतिमात्र प्राप्त कर करने वाले कर्मियों कार्यालय को जमा एवं आधार राशि</td> <td>प्रतिदिन कर्मियों को जमा एवं आधार राशि</td>	संस्था द्वारा संस्था के विपत्र से मदवारा प्रतिमात्र प्राप्त कर करने वाले कर्मियों कार्यालय को जमा एवं आधार राशि	प्रतिदिन कर्मियों को जमा एवं आधार राशि																	
0	लोकना यक्षे जयप्रक श नारायण अस्ता ल. राजतंशु नीगर पट्टना।	हेल्पर																					
1	लोकना यक्षे जयप्रक श नारायण अस्ता ल. राजतंशु नीगर पट्टना।																						

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का पदनाम :-

०१-१०-२२

(42)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	आरटी-सोसिएटीवस्था के तहत कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	आरटी-सोसिएटीवस्था के तहत कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	संस्थान में द्वारा संस्था के विपत्र से नियुक्ति को मदवारा प्रतिमाह प्राप्त राशि को गई विपत्र प्राप्त राशि को गई विपत्र प्राप्त राशि	संस्थान में द्वारा संस्था के विपत्र से नियुक्ति को मदवारा प्रतिमाह प्राप्त राशि को गई विपत्र प्राप्त राशि को गई विपत्र प्राप्त राशि को गई विपत्र प्राप्त राशि	संस्था के अधार पर कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता	कार्यक्रमों की विवरणीयां वाली संस्थान का नाम एवं पता
0	लोकना यक्ष जयप्रकाश नारायण अस्पता ल, राजवंश नीगर, पटना।	मेल वाई अटेंडेंट																					

निविदादाता का हस्ताक्षर :-
 निविदादाता का पूरा नाम :-
 निविदादाता का पदनाम :-
 निविदादाता का आधार नं :-

01-10-22
Banita

(43)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
आर्ड-	आर्ड-	आर्ड-	सोसिंग-	सोसिंग-	संस्थान	संस्थान	संस्थान	संस्था	प्रतिदिन	सम्भालि	कर्मियों	संस्था	कर्मियों	संस्था	ESIC,	ESIC,							
म	स	स	व्यवस्था	व्यवस्था	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	के बैंक	के बैंक	का	का	का	का	का	का	एवं	एवं	एवं	एवं	EPF,	EPF,	
स	स	स	के तहत	के तहत	संस्थान में	संस्था के	संस्था के	संस्थान	पदनाम	का	का	का	का	का	का	का	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	(IN	(IN	
0	0	0	कार्य	कार्य	अपने	की	की	की	प्रतिमाह	को	मोबा	को	मोबा	को	मोबा	को	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	UR	UR	
			करने	करने	लियों	वाली	वाली	वाली	प्रतिमाह	मदवार	इल	त	उपरिथि	त	उपरिथि	त	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	(UA	(UA	
			संस्थान	संस्था	(कायदेश,	पत्रक	पत्रक	पत्रक	प्रतिमाह	TDS	मद	पत्र	कार्य	कार्य	कार्य	कार्य	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	NCE)	NCE)	
			का नाम	का नाम	दिनांक	जना कि	जना कि	जना कि	प्रतिमाह	मद	मद	मद	करने	करने	करने	करने	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	ESIC	ESIC	
			एवं पता	एवं पता	साहेत)	गई विप्र	गई विप्र	गई विप्र	प्रतिमाह	से	से	से	वाले	वाले	वाले	वाले	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	No.	No.	
													कार्यालय	कार्यालय	कार्यालय	कार्यालय	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों	कर्मियों			
													को जमा										
													एवं	एवं	एवं	एवं	आधार	आधार	आधार	आधार			
													आधार	आधार	आधार	आधार	नावर	नावर	नावर	नावर			
													नावर	नावर	नावर	नावर	मानदेय	मानदेय	मानदेय	मानदेय			
0	0	0	लोकना	लोकना	फिल्मेल	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	
1	1	1	यक्ष	यक्ष	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	जयप्रक	
			नारायण	नारायण	ल	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	राजसंस	
			अस्पता	अस्पता	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	पटना।	

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पुरा नाम :-

निविदादाता का पदनाम :-

निविदादाता का आधार नं :-

01-10-25



कार्यालय : निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना



Website: www.Injorthohospital.org, E-mail- Injpnhospital@gmail.com

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत मानव संसाधन वैग्रह हेतु निविदा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य भिशन (NHM) के अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना है, L-II स्तरीय ट्रामा सेन्टर सहित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के विभागीय पत्रांक 47 (10) दिनांक 17/06/2021 के निदेशानुसार आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत विभिन्न पदों के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत अंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदां अलग-अलग दो लिफाफों में भर कर एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत विभिन्न पदों के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन, अपराह्न पाँच बजे तक सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा प्राप्त की जायेगी, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को अपराह्न 02.00 बजे निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के कार्यालय कक्ष में निविदा चयन/निर्धारण समिति के समक्ष प्राप्त निविदाएँ खोली जायेगी, निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्तें कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna के नाम से ₹0 1000/- का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट (Non-Refundable) बनाकर एक आवेदन (लेटर पैड पर) के माध्यम से कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही प्राप्ति की जा सकती है, तत्पश्चात् ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगे, विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान के वेबसाईट www.Injorthohospital.org अथवा state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

16/11/2022 प्रभातखबर

(डॉ सुभाष चंद्र) निदेशक

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना

PR- 10571 (Health) 2022-23

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।